न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 121/2017

1. नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 सी बड़ी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. चरणवीरसिंह पुत्र विरेन्द्रपालसिंह
2. पोमागिल पुत्री वीरेन्द्रपालसिंह पत्नी करणसिंह गिल

} निवासी चक 7 सी बड़ी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 30.05.2018**

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 7 सी बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 27 सालम का काश्तकार है प्रार्थी द्वारा अपनें रकबा मुरब्बा नम्बर 27 में आनें जानें के लिये रास्ता मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में चालू स्थित है, प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में चालू रास्ता की तस्दीक प्राप्त करनें हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस सम्बंध में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है।

प्रार्थी द्वारा अपनें मुरब्बा नम्बर 27 में स्थापित आवागमन के लिये जो रास्ता मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में कालान्तर से चला आ रहा है और प्रार्थी के रकबा में आनें जानें के लिये यह एक मात्र रास्ता है और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जा रही है, कि एक दो दिन में रास्ता ट्रेक्टर से जुताई कर बन्द कर दिया जावेगा यदि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को अपनें रकबा में आनें जानें के लिये परेशानी उठानी पड़ेगी तथा एक मात्र रास्ता बन्द होनें के कारण प्रार्थी के रकबा में जुताई बिजाई नहीं हो पायेगी इससे प्रार्थी को ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के रकबा चक 7 सी बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 27 हेतु चक 7 सी बड़ी प्रथम में मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में चल रहे रास्ता को स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, मुताबिक रिपोर्ट चक 7 सी प्रथम के खाता संख्या 36/43 का मुरब्बा नम्बर 27 का रकबा के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर नहरी रकबा मय खाला कृषि भूमि के संयुक्त खाता में से 0.703 हैक्टर रकबा नक्षत्रसिंह पुत्र बलबीरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में आनें जानें के लिये चे 7 सी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में से पत्थर लाईन के साथ आते हुए रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किया है, जो मौके पर चालू है। उक्त मुरब्बा नम्बर 28 के किला

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

नम्बर 1 ता 25 में 6.013 हैक्टर रकबा चरणवीरसिंह पुत्र विरेन्द्रपालसिंह व पोमा गिल पुत्री विरेन्द्रपालसिंह पत्नी करनैलसिंह गिल जाति जटसिख साकिन चण्डीगढ़ के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.039 रकबा में पक्की सड़क मौका पर चल रही है। तथा दर्ज रिकार्ड है।

दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित लोक अदालत के दौरान प्रकरण में भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में चक 7 सी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में मौका आदिनांक 30.05.2018 को देखा गया उक्त चक के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में पत्थर लाईन पर मौके पर रास्ता चालू पाया गया प्रार्थी नक्षत्रसिंह पुत्र बलबीरसिंह रास्ता के बदले मुआवजा देनें को तैयार है।

ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित लोक अदालत के दौरान प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के प्रतिनिधी को सुना गया प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी की भूमि को जानें हेतु स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं होनें के के कारण रास्ता स्वीकृत किया जावे रास्ते की भूमि बदले न्यायालय जो मुआवजा तय करेगा प्रार्थी अप्रार्थीगण को देने हेतु तैयार है।

अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी. की दुगनी राशि देनें का प्रावधान है जो बहुत कम है, यदि प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में दोगुनी भूमि अप्रार्थी को देनें में सहमत है, तो अप्रार्थी रास्ता देनें को सहमत है।

पक्षकारान के कथनों का मनन किया गया तथा भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया दौरानें भौतिक निरीक्षण पाया गया कि प्रकरण में चाहा गया रास्ता मौके पर चालु है, तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जानें हेतु विलक्प के तौर पर अन्य कोई रास्ता नहीं होनें से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 7 सी बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 27 हेतु चक 7 सी बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.012 हैक्टर (प्रत्येक में एक बिस्वा) चौड़ा रास्ता जो मौके पर चल रहे रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा स्वरूप चक 7 सी बड़ी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.012 हैक्टर (प्रत्येक में एक बिस्वा) भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के रकबा से चिपती हुई कुल 0.060 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का तथा रास्ते की भूमि के बदले में दिये जानें वाली भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर